

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/भू.अ./2025/ 104

दिनांक 24/01/25

अनवान :-

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण
मोहम्मद गुलाम वगैरा बनाम भगा वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बावत ।

राजस्व आवेदन सं. 34/2021

दिनांक : 22.01.2025

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र धनाऊ के मौजा सुरते का ढाणी के खेत खसरा सं. 496, 501 रकबा क्रमशः 79.02, 01.17 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

क्रमांक/भू.अ./2025/ 105 to 108

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थी मोहम्मद गुलाम वगैरा
3. विप्रार्थीगण भगा वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ/सेडवा



उपखण्ड अधिकारी

दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
24/01/25



(कुसुमलता चौहान)

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन
उपखण्ड अधिकारी

चौहटन